

## खण्ड - III

## आयोजना परिव्यय 2005-2006

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2005-2006 के केंद्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, के बाद दी गई टिप्पणियां संपूर्ण आयोजना परिव्यय के साथ जुड़ी हैं जिसमें बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विवरण 12 में आयोजना आवंटन मंत्रालय/विभाग-वार दिए गए हैं। विवरण 13 में विकास-क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-शीर्षों द्वारा आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए हैं। विवरण 16

में राज्य और संघ राज्य आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 केंद्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता के राज्यवार ब्यौरों सहित व्यवस्था दर्शाता है। विवरण 19 लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था हेतु परिव्यय और विवरण 20 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए परिव्यय दर्शाता है।

2004-2005 के केंद्रीय आयोजना परिव्यय की तुलना में 2005-2006 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

	बजट अनुमान 2004-2005	संशोधित अनुमान 2004-2005	बजट अनुमान 2005-2006
केंद्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन	87886.25	82528.93	110385.00
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	75834.04	68289.22	100868.49
<b>केंद्रीय आयोजना परिव्यय</b>	<b>163720.29</b>	<b>150818.15</b>	<b>211253.49</b>
<b>राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता</b>	<b>57704.00</b>	<b>54858.11</b>	<b>33111.78</b>

## कृषि और संबद्ध गतिविधियां

**फसल कार्य :** कृषि ज़िंसां का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। आवंटन मुख्यतः तिलहन और दाल कार्यक्रम, फसलोन्मुखी कार्यक्रमों, पौध संरक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, वर्षा सिंचित खेती, बीज और उर्वरक, कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, फसल बीमा और भंडारण सुविधाओं सहित बागवानी कार्यकलापों के लिए किया गया है। "कार्य योजनाओं (कृषि में वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण" योजना के अधीन भी 782.09 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु 630 करोड़ रुपए और लघु सिंचाई हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 3415.75 करोड़ रुपए है।

**मृदा और जल संरक्षण :** इस शीर्ष के अधीन परिव्यय अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूमि प्रयोग संरक्षण बोर्ड और झूम खेती (राज्य आयोजना) के लिए प्रदान किया गया है। मृदा और जल संरक्षण के अधीन इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 38 करोड़ रुपए है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए की राशि "झूम खेती (राज्य आयोजना)" के लिए है।

**सहकारिता :** प्रावधान मुख्यतः सहकारी शिक्षा/प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण और अल्प विकसित राज्यों में सरकारी समितियों को सहायता के लिए है। इन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 162.50 करोड़ रुपए है।

**अन्य कृषि कार्यक्रम :** 164 करोड़ रुपए का परिव्यय कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण, ग्रैडिंग, विपणन अवसंरचना के विकास, विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क आदि के लिए है।

**पशुपालन :** सामान्य तौर पर पशुपालन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् प्रथम, बढ़ रही जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; द्वितीय, कृषि उत्पादन की वृद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति की आपूर्ति; तथा तृतीय पशु रोगों का नियंत्रण। वर्ष 2005-06 के लिए परिव्यय 350.11 करोड़ रुपए है।

**डेयरी विकास :** 78.50 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया आपरेशन फ्लड के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों, पहाड़ी भूमि तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना; सहकारी संगठनों को सहायता देने; गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध के लिए अवसंरचना के विकास और डेयरी मूर्गीपालन उद्यम पूंजी निधि के लिए है।

**मत्स्य पालन :** 217.56 करोड़ रुपए का परिव्यय मृदु जल एवं खारा जल मत्स्य पालन के प्रोत्साहित करने, मछली बंदरागाहों एवं लैंडिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान करने, तटवर्ती समुद्री मत्स्य पालन विकास तथा मछुआरों के कल्याण, डाटा बेस एवं सूचना नेटवर्क प्रणाली का सुदृढीकरण एवं मत्स्य पालन संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

**वानिकी और वन्य जीवन :** पर्यावरण और वन मंत्रालय का केंद्रीय आयोजना परिव्यय 1234.91 करोड़ रुपए है जिसमें से पर्यावरण क्षेत्र में आवंटन 202.41 करोड़ रुपए है। 420.50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय नदी एवं झील संरक्षण और 260.85 करोड़ रुपए वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। 123.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधियां उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रदान की गई हैं।

**खाद्य भंडारण और भंडागारण :** इस क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 216.16 करोड़ रुपए है।

**कृषि अनुसंधान और शिक्षा :** कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरडी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) (राष्ट्रीय स्तर पर यह एक शीर्ष वैज्ञानिक संगठन है), को आवश्यक सरकारी संपर्क प्रदान करता है। इस क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 1035 करोड़ रुपए है। इसमें से 774.50 करोड़ रुपए फसल कार्य, 95 करोड़ रुपए पशुपालन, 39 करोड़ रुपए मत्स्य पालन और 81 करोड़ रुपए मृदा और जल संरक्षण के लिए है।

## ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 18334 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (6000 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, आवास निर्माण और सड़कें तथा पुल हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसआई) के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 862.24 करोड़ रुपए है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 1.4.1999 से अस्तित्व में आयी। इस परियोजना को एक ऐसे सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है ताकि यह ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित करने जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को तथा उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढांचागत विकास, बैंक ऋण हेतु वित्तीय सहायता तथा सब्सिडी और विपणन सहायता आदि को अपने में शामिल कर सके। अतीत के अनुभवों से भी यह बात सामने आई है कि यदि व्यक्तिगत

आधार के बजाय समूह आधार पर प्रयास किए जाएं तो सफलता की दर ऊंची होती है। इसलिए यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है। यह पहचान किए गए मुख्य कार्यकलापों में लघु उद्यमों के विकास में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर देता है। बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं कार्यक्रम जो स्वरोजगारी के चयन के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण गतिविधि हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी से प्रारम्भ हो रहा है, के कार्यान्वयन और परियोजना-पश्च अनुवीक्षण आदि में निकटता से शामिल तथा जुड़ी रहती हैं। निधियों का वहन केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीब परिवार शामिल हैं। लक्षित समूह के अन्तर्गत, योजना के मार्गनिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत तथा विकलांगों हेतु 3 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है।

**ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम :** ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम हेतु आयोजना परियोजना 1992.24 करोड़ रुपए है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एक चालू केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसके अधीन सूक्ष्म-जलसंभर आधार पर बड़ी परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। ये प्रस्ताव साधारणतया गैर-सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/गैर-मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) ब्लॉक में स्वीकृत किए जाते हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग की कार्यनीति पर आधारित दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य के साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। यह केन्द्र और राज्यों द्वारा समतुल्य आधार पर निधि-पोषित होने वाली एक केंद्र-प्रायोजित योजना है। 1 अप्रैल, 1999 से आवंटन की भागीदारी 75:25 के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की जाती है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 प्रखंडों में प्रचालनाधीन है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम का लक्ष्य दीर्घावधि में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करने और सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि कृषि आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए भी मरुभूमिकरण को नियंत्रित और भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित, विकसित और उसका उपयोग करना है। 1995-96 से सूखा क्षेत्रों को 3 श्रेणियों नामतः तप्त रेत सूखा क्षेत्र, तप्त सूखा क्षेत्र और शीत सूखा क्षेत्र के अधीन अभिज्ञात किया गया है। आवंटन की भागीदारी 75:25 के आधार पर दिनांक 1.4.1999 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में केंद्र और राज्य के बीच की जाती है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 प्रखंडों में प्रचालनाधीन है।

**ग्रामीण रोजगार :** इस क्षेत्र के लिए कुल परियोजना 10,000 करोड़ रुपए है जिसमें से 4000 करोड़ रुपए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के लिए 6000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसमें से 1000 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखे गए हैं। संपूर्ण रोजगार योजना रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) की चालू योजनाओं के विलय द्वारा दिनांक 25.9.2001 से प्रारंभ की गई थी। जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार तथा इन क्षेत्रों में टिकाऊ समुदाय, परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करना है। यह कार्यक्रम स्व-लक्ष्य प्रकृति का है जहां नकद संघटक की भागीदारी 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्यों को बीच की जाती है वहीं केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों की संपूर्ण लागत की पूर्ति करती है। राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है। खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष भुगतान केन्द्र द्वारा किफायती दाम पर भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। कामगारों को न्यूनतम 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न और कम से कम 25% नकद के मिले-जुले स्वरूप में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। 2003-04 तक कार्यक्रम दो चरणों में क्रियान्वित किया गया था। अब 2004-05 से कार्यक्रम एक एकीकृत योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है। यह योजना विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों द्वारा क्रियान्वित की गई है। सभी तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं अर्थात् जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच कार्यक्रम संसाधनों का आवंटन क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है। पंचायत का प्रत्येक स्तर कार्य योजना के निर्माण और योजना के निष्पादन के लिए एक स्वतंत्र इकाई है। इस योजना के अंतर्गत समुदाय के कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षापायों की व्यवस्था भी कई गई है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत के हिस्से में से 50% संसाधनों को अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में आवश्यकता आधारित

आधारों के सृजन के लिए अलग से रखा गया है तथा जिला परिषद और पंचायत समिति के संसाधनों में से 22.5 प्रतिशत हिस्से का उपयोग अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आशयित व्यक्तिगत/समूह लाभभोगियों के लिए ही किया जाना चाहिए।

एसजीआरवाई के विशेष संघटक ने 1.4.2002 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है। यह मांग आधारित योजना है और आपदा प्रभावित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए केवल खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् अधिसूचना और कृषि मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद ही सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता की अनुशंसा अंतर मंत्रालयीन केन्द्रीय दल के माध्यम से किए गए हानि के आकलन के बाद की जाती है। नकद संघटक की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। एक नया कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा सहित अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार सृजन हेतु नवंबर, 2004 में देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम की प्रतिबद्धता की ओर उठाया गया एक कदम है। गोवा के सिवाय सभी राज्यों को इस कार्यक्रम के अधीन शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम के अधीन राज्यों को नकद और खाद्यान्न पूरी तरह केन्द्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का फोकस जल संरक्षण, सूखा रोधी (वनीकरण/चाय बागान सहित), भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण/संरक्षण (जलमग्न क्षेत्रों में निकासी सहित) और सर्व-मौसम सड़कों के संबंध में ग्रामीण संबद्धता से जुड़े निर्माण कार्यों पर है।

**अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम:** कुल आयोजना परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर 376.26 करोड़ रुपए है, जिसमें डीआरडीए प्रशासन (220.34 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण (30.50 करोड़ रुपए) शामिल है। कापार्ट, आई.ई.सी., मानीटरिंग तंत्र तथा नई योजना "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान" (पूरा) जैसे ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों पर व्यय पूर्ति हेतु प्रावधान रखा गया है।

डीआरडीए प्रशासन की योजना का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक ओर मंत्रालय के निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों के प्रबंधन और दूसरी ओर जिले में निर्धनता उन्मूलन के समग्र प्रयासों से इन्हें प्रभावी रूप से संबद्ध करने में दक्ष विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है। इस योजना का निधिपोषण 75:25 के आधार पर प्रशासनिक लागतें पूरी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

**पंचायतीराज :** पंचायतीराज मंत्रालय के लिए केन्द्रीय परियोजना वर्ष 2005-06 में 50 करोड़ रुपए है जिसमें से 5.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है। पंचायतीराज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों की मानीटरिंग से सम्बद्ध है और इस बात का सुनिश्चय करना है कि राज्य अधिनियमों को उक्त दो अधिनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार किया गया है। पंचायत विकास तथा प्रशिक्षण की योजना में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अनुसंधान अध्ययनों का वित्त पोषण, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का संचालन, पंचायतीराज संस्थाओं को ढांचागत सहायता मुहैया कराना तथा पंचायतीराज संस्थाओं के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना शामिल है।

**भूमि सुधार :** भूमि सुधारों के लिए आयोजना परियोजना 126 करोड़ रुपए है जो भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण राजस्व प्रशासन के सुदृढीकरण और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एसएलआर और यूएलए) की योजना के लिए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए 14 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। भूमि सुधारों के अंतर्गत राजस्व प्रशासन के सुदृढीकरण व भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की स्कीम के तहत राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर सहायता दी जाती है। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण (सीएलआर) की एक केंद्र-प्रायोजित योजना भी कार्यान्वयनाधीन है। यह एक शत-प्रतिशत सहायता अनुदान योजना है। अभी तक देश में 582 जिलों को कम्प्यूटीकरण कार्यक्रम के अधीन लाया गया है और योजना देश के 3286 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में चलाई गई है।

16.66 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रौद्योगिकी, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है। प्रौद्योगिकी, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित आयोजना परिव्यय 16.66 करोड़ रुपए है। योजना के अधीन, 100% वित्तीय सहायता उन परियोजनाओं जो सरकारी या सामुदायिक भूमि पर चल रही है, के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। निजी भूमि पर परियोजनाओं की लागत को केन्द्र और किसानों/कार्पोरेट निकायों के बीच 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है।

**जैव-ईंधन:** जैव-ईंधनो के लिए आयोजना प्रावधान 50 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल है। योजना आयोग ने जैव-ईंधन विकास पर एक समिति की सिफारिशों के अनुसार जैव-ईंधन पर एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नोडल मंत्रालय बनाया गया है जबकि कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड वन-भिन्न भूमियों पर जट्रोफ खेती के लिए नोडल अभिकरण है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन भूमियों पर जट्रोफ खेती के लिए नोडल अभिकरण है।

### सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

**वृहत् और मध्यम सिंचाई:** इस खण्ड के अधीन परिव्यय आंकड़ा संग्रहण, नदी घाटियों में अतिरिक्त मुख्य जलवैज्ञानिक स्टेशनों की स्थापना, वृहत् और मध्यम सिंचाई क्षेत्रक निर्मित करने के लिए अनुसंधान और अन्य कार्यकलाप हेतु है। 82.83 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की आवश्यकताएं शामिल हैं।

**कमान क्षेत्र विकास :** वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किए गए बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के एक कार्यक्रम कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

### ऊर्जा

**विद्युत :** इस क्षेत्र के लिए 26495.42 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम, दामोदर घाटी निगम, उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम, टिहरी हाइड्रो विकास निगम तथा भारतीय विद्युत ग्रिड निगम की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए है।

**संबद्ध पारेषण लाइनों सहित तापीय और पन बिजली उत्पादन:** राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के लिए प्रावधान मुख्यतः तलचर-चरण-II रिहद-II, रामगुण्डम-III, डैम, विंध्याचल-III, कहलगांव, सीपत-I और II) के लिए किया गया है। दामोदर घाटी निगम के लिए आयोजना व्यय मेजिया टीपीएस के विस्तार हेतु प्रारंभ किया गया है तथा यूनिट-IV, V तथा VI का विस्तार तथा 7 और 8 यूनिटों हेतु चंद्रपुर पीपीएस के लिए तथा नई स्कीमों के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम को उसकी चालू स्कीमों धोलिगंगा-I (280 मेगावाट), दुलहाती (319 मेगावाट), तीस्ता-V (510 मेगावाट), पार्वती-II (800 मेगावाट), सुभानश्री लोअर (120 मेगावाट) के लिए रखा गया है।

सीपत-I तथा II के कार्यान्वयन, टिहरी पारेषण, डब्ल्यूआर प्रणाली को मजबूत करने, कहलगांव-II, चरण-I तथा पूर्वोत्तर और दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड के लिए भारतीय पावर ग्रिड निगम के लिए निधियाँ भी प्रदान की गई हैं।

प्रावधानों में उत्तर पूर्वी बिजली विद्युत निगम के लिए कामंग एचईपी, त्रिपुरा गैस-आधारित परियोजना तथा त्रिपुरा कोपली पारेषण लाईन हेतु निधियाँ टिहरी चरण-I के लिये जिसमें टिहरी पीएसपी तथा कोटेश्वर एचईपी निधियाँ तथा विद्युत वित्त निगम के लिए त्वरित उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए निधियाँ प्रदान की गईं।

**नाभिकीय ऊर्जा:** नाभिकीय ऊर्जा के लिए कुल परिव्यय 5139.96 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 2443.96 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और आं.बा.ब.सं. के 2696 करोड़ रुपए शामिल हैं। कुल बजटीय सहायता में से इक्विटी में निवेश के लिए 430.00 करोड़ रुपए का प्रावधान और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. के लिए है। इस प्रावधान में कुडनकुलम में विदेशी सहायता प्राप्त उस परियोजना के लिए 2004.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है जो एनपीसीआईएल के लिए रूसी परिसंघ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की परियोजनाएं जैसे कि नाभिकीय संयंत्र

के लिए अतिरिक्त उन्नयन सुविधा, पीआईईई के लिए हॉट सेल सुविधाएं और उन्नत हैवी वॉटर रिएक्टर तथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता मुहैया कराने के लिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की परियोजना को भी बजटीय सहायता से वित्तपोषित किया जा रहा है।

**पेट्रोलियम:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों का अनुमोदित आयोजना परिव्यय 29623.48 करोड़ रुपए है। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन (प्राकृतिक गैस की ढुलाई सहित) 21106.48 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 6163.23 करोड़ रुपए, पेट्रो-रसायनों के लिए 2340.79 करोड़ रुपए तथा इंजीनियरी यूनिटों के लिए 13 करोड़ रुपए शामिल हैं। ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओआईएल आदि द्वारा निवेश भी परिव्यय के मुख्य संघटक हैं। इस परिव्यय का वित्तपोषण संपूर्ण रूप से आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा।

**कोयला और लिग्नाइट:** भारतीय अर्थव्यवस्था को ढांचागत समर्थन देने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 4001.40 करोड़ रुपए रखा गया है। आयोजना परिव्यय की आंशिक पूर्ति 152.05 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 3849.35 करोड़ रुपए की आंशिक पूर्ति आईईबीआर द्वारा की जाएगी।

**गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत:** गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का परिव्यय 865.44 करोड़ रुपए है। इस परिव्यय में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इस आयोजना परिव्यय में नवीकरणीय माध्यम से न्यूनतम ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, विकेंद्रीकृत ऊर्जा आपूर्तियों तथा ग्रिड गुणवत्ता विद्युत निर्माण पर जोर दिया गया है, साथ ही इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति के सृजन हेतु मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण पर जोर है।

### उद्योग एवं खनिज

**लघु उद्योग:** इस में लघु उद्योगों एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के संवर्धन के लिये परिव्यय शामिल है। लघु उद्योग मंत्रालय हेतु परिव्यय 408.91 करोड़ रुपए है, जिसमें लघु उद्योग यूनिटों को संपार्श्विक निःशुल्क ऋण के लिये ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु 180 करोड़ रुपए लघु उद्योग इकाइयों को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऋण गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। इसमें छोटे और ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन के लिये परिव्यय भी शामिल है।

**लौह एवं इस्पात उद्योग:** इस्पात मंत्रालय के लिये आयोजना परिव्यय 2466.12 करोड़ रुपए का है, जिसका वित्तपोषण 15 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एवं 2451.12 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों से किया जाएगा। कुल परिव्यय में से (1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए 1030 करोड़ रुपए, (2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. के लिए 896 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परिव्यय के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा, (3) आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में स्पॉज आयरन इंडिया लि. को 5 करोड़ रुपए नई स्कीमों, एएमआर स्कीमों तथा टाउनशिप एवं अनुसंधान और विकास के लिए प्रदान किए जाएंगे, (4) हिन्दुस्तान स्टीलवर्कर्स कंस्ट्रक्शन लि. को बजटीय सहायता के रूप में नए निर्माण उपकरणों के लिए 4 करोड़ रुपए, (5) भारत रिफ्रेक्टरीज लि. को एएमआर योजनाओं के लिए 7 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस समस्त परिव्यय को इक्विटी के रूप में बजटीय सहायता के तौर पर पूरा किया जाएगा, (6) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए 220.25 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, (7) कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. के लिए अन्य खनिज विकास (70.00 करोड़ रुपए), रेल द्वारा अन्य लौह अयस्क की प्राप्ति हेतु अवसंरचना विकास जैसी नई योजनाओं के लिए 225.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, (8) मंगनीज ओर इंडिया लि. को बालघाट माइन (8 करोड़ रुपए), गुयगांव माईन के नए की सिकिंग के लिए (2.50 करोड़ रुपए), एएमआर स्कीम के लिए (17.31 करोड़ रुपए), टाउनशिप के लिए (1.40 करोड़ रुपए) तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए (1.60 करोड़ रुपए) जैसी स्कीमों के लिए 34.21 करोड़ रुपए प्रदान किए गए, (9) बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज को 17.38 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जिसे कंपनी के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा, (10) सूचना प्रौद्योगिकी, परीक्षण उपकरण खरीदने तथा अनुसंधान और विकास के लिए 4.00 करोड़ रुपए की बजटीय

सहायता सहित 12.28 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, (11) स्टाकयार्ड/वेयरहाउसिंग सुविधाओं की स्थापना हेतु एमएसटीसी के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, (12) फैंरो स्क्रीप निगम लि. के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसे कंपनी के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा किया जाएगा और इसे एएमआर स्कीमों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

**अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग:** खान मंत्रालय का परिव्यय 685.14 करोड़ रुपए है, जिसमें 458.26 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन शामिल हैं। अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग का परिव्यय 668.64 करोड़ रुपए है। कुल परिव्यय का अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) एल्युमीनियम (नाल्को) के लिए - 450.71 करोड़ रुपए;
- (ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) के लिए - 40 करोड़ रुपए;
- (ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड - 16 करोड़ रुपए;
- (घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण - 146.50 करोड़ रुपए;
- (ङ) भारतीय खान ब्यूरो - 18.50 करोड़ रुपए;
- (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम - 7.43 करोड़ रुपए;
- (छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए निर्माण कार्यक्रम - 6 करोड़ रुपए।

**उर्वरक उद्योग:** इस हेतु 1017.30 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 905.48 करोड़ रुपए की पूर्ति आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से की जाएगी और शेष 111.82 करोड़ रुपए की राशि बजटीय सहायता द्वारा प्रदान की जाएगी। यह परिव्यय फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (40 करोड़ रुपए), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लि. (37.49 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (16.29 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (55 करोड़ रुपए), प्रोजेक्टस एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (3.26 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (305.22 करोड़ रुपए), कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (542 करोड़ रुपए) के लिए है।

**रसायन और भेषज उद्योग:** रसायन और भेषज उद्योग के लिए 51.83 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

**इंजीनियरी उद्योग:** इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 759.13 करोड़ रुपए रखा गया है जिसमें से मुख्यतः औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग और भारी उद्योगों जिसमें इंजीनियरिंग उद्योगों अर्थात् भेल, भारत यंत्र निगम लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., भारी इंजीनियरिंग निगम लि., इन्स्ट्रुमेंटेशन लि., कोटा, स्कूटर इंडिया लि., एचएमटी, एंड्रू यूल् एंड कम्पनी लि. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लि. नौवहन तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए शामिल हैं, के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

**परमाणु उर्जा उद्योग:** इस क्षेत्र हेतु 842.29 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसमें बजटीय सहायता के माध्यम से 605.69 करोड़ रुपए तथा आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से 236.60 करोड़ रुपए शामिल हैं। बजटीय सहायता में गुरुजल संयंत्र, बड़ोदरा में महत्वपूर्ण सुधार तथा गुरुजल बोर्ड के अन्य चालू गुरुजल संयंत्रों के सम्बन्ध में लघु सुधार करना शामिल है। इसके अलावा, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की चालू तथा नई परियोजनाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, बजटीय सहायता में चालू स्कीमों को पूर्ण करने तथा नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स द्वारा नयी दसवीं योजना स्कीमों पर कार्य प्रारंभ करना शामिल है। अन्य परियोजनाओं में विकास सम्बन्धी कार्यों तथा सर्वेक्षण, परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा आरम्भ की गयी अन्वेषण और अनुसंधान की संभावनाओं और खोजों के लिए कार्य शामिल है। इस परिव्यय में विभिन्न अस्पतालों तथा उद्योगों में आपूर्ति हेतु रेडियो-आइसोटोप्स तथा नाभिकीय औषधियों के उत्पादन से सम्बन्धित बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप्स टेक्नोलॉजी द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भी व्यवस्था करना जिसमें साइक्लोट्रॉन द्वारा उत्पादित रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल है। बजटीय सहायता से, विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., इंडियन रेयर अर्थ लि. तथा यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश भी प्रदान किए जाते हैं।

**कृषि और ग्रामीण उद्योग :** कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए 859

करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। जिसमें 196.65 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा 369.95 करोड़ रुपए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा 27 करोड़ रुपए पारम्परिक उद्योग पुनः सृजन हेतु निधि संबंधी योजना के लिए है।

## परिवहन

**रेलवे :** 2005-06 के लिए रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 15,349 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 6520 करोड़ रुपए की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी, जिसमें विशेष रेल सुरक्षा निधि के लिए 2699 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है। इस आयोजना में डीजल उपकरण में से रेलवे सुरक्षा निधि के लिए 710.81 करोड़ रुपए, आंतरिक संसाधनों से 4718.19 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 3400 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इस परिव्यय के माध्यम से वर्ष 2005-06 के दौरान प्रस्तावित लक्ष्य 4000 कि. मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 350 रूट किमी. का विद्युतीकरण, 935 रूट किमी. का गेज परिवर्तन, 219 किमी. की नई रेल लाइनें तथा अतिरिक्त 235 लोकोमोटिव का विनिर्माण हैं।

**सड़क परिवहन और राजमार्ग:** सड़क नेटवर्क का विकास तथा उचित रख-रखाव आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अंतर्देशीय अंतरों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2005-06 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से व्यय का प्रावधान दर्शाती है :-

(करोड़ रुपए)

मद	
- राज्यों को अनुदान	1478.55
- राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	162.05
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	56.81
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	8.54
- एनएचआई में निवेश	3269.74
- रेलवे	710.81
- ग्रामीण सड़कें	3809.50
<b>जोड़</b>	<b>9496.00</b>

**एनएचडीपी-चरण-III :** इस कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 10,000 किलोमीटर हिस्से का उन्नयन करके उन्हें पीपीपी आधार पर 4/6 लेन वाले मार्ग में रूपांतरित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अत्यधिक यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने, राज्यों की राजधानियों को एनएचडीपी चरण-I तथा II से जोड़ने तथा आर्थिक, वाणिज्यिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को सड़क सुविधाओं से जोड़ना है। इस बारे में परियोजना संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दसवीं योजना को शेष अवधि के दौरान लगभग 7000 किलोमीटर मार्ग संबंधी कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपए है तथा 30,000 करोड़ रुपए की राशि निजी क्षेत्र से आएगी। इसमें 5000 करोड़ रुपए की राशि भूमि-अधिग्रहण जैसे परियोजना-पूर्व कार्यों तथा शेष 25000 करोड़ रुपए की राशि सक्षमता अंतराल के वित्तपोषण के लिए है। 2005-06 के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम :** पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क विकास के लिए त्वरित पूर्वोत्तर सड़क विकास परियोजना का प्रस्ताव है जिससे सभी राज्यों की राजधानियों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिला मुख्यालयों को एक-दूसरे से जोड़ा जा सके। इनमें नागावों तथा डिब्रुगढ़ के बीच 315 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाला बनाना तथा मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम में 288 किलोमीटर सड़क मार्ग को 2/4 लेन वाला बनाना शामिल है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा राज्यीय मार्गों का उन्नयन करना शामिल है।

**नौवहन:** भारतीय नौवहन, पत्तन, अंतर्देशीय जल क्षेत्रक तथा पोत निर्माण उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए नौवहन मंत्रालय हेतु 2801.36 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें भारतीय नौवहन निगम,

सीएसएल, डीसीआई, सेतुसमुद्रम निगम लि. और प्रमुख पत्तनों के लिए 2261.36 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है जो आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से प्राप्त होती है।

**नागर विमानन:** नागर विमानन क्षेत्र हेतु 2379.32 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें बजटीय सहायता 370.85 करोड़ रुपए है।

**सड़क और पुल:** इस क्षेत्रक के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम हेतु प्रावधान को छोड़कर कुल परिव्यय 22784.59 करोड़ रुपए है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी असम्बद्ध स्थानों को जिनकी जनसंख्या 500 व्यक्तियों से ज्यादा है, दसवीं योजना के अंत तक वर्ष भर अच्छी हालत में रहने वाली सड़कों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2000 में प्रारंभ किया गया था। पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल) तथा रेगिस्तानी इलाकों में इस योजना का उद्देश्य 250 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली आबादियों को सड़कों से जोड़ना है।

## संचार

**डाक सेवाएं:** डाक व्यवस्था के विकास के लिए परिव्यय 354 करोड़ रुपए है। परियोजना, क्रियाकलापों का मुख्य जोर विभिन्न डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण तथा उसमें प्रौद्योगिकी निवेश करने पर है और वे अधिकांश आयोजना स्कीमों का एक संघटक बनती है। मुख्य परियोजना स्कीम डाकखानों तथा लेखा और प्रशासन कार्यालयों के आधुनिकीकरण से सम्बद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्यचालन/कार्य प्रणाली का आधुनिकीकरण, कोलकाता में स्वचालित डाक छंटाई केन्द्रों की स्थापना, प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, प्रशिक्षण, कार्यचालन तथा प्रशासनिक भवनों का निर्माण तथा ऐतिहासिक विरासत के भवनों का रख-रखाव, राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र की स्थापना और पार्सल पोस्ट केन्द्रों की स्थापना आदि शामिल हैं। विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम के तहत अपेक्षित डाक नेटवर्क के विस्तार हेतु निधियों की व्यवस्था की गई है।

**दूरसंचार सेवाएं तथा अन्य संचार सेवाएं:** दूर संचार विभाग के लिए परिव्यय 11801.01 करोड़ रुपए है जिसमें 168.61 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता (सी-डाट-82 करोड़ रुपए, वायरलैस प्लानिंग समन्वय हेतु 62.71 करोड़ रुपए) शामिल है।

**सूचना प्रौद्योगिकी:** कुल आयोजना परिव्यय 1087.56 करोड़ रुपए है जिसमें से बजटीय सहायता के जरिए 929.30 करोड़ रुपए और आईईबीआर के माध्यम से 158.26 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। 266 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था ई-गवर्नेंस के लिए की गई है। साफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग ने निरन्तर भारतीय उद्योग के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात के कुल मूल्य में वर्ष 2003-04 में 55,500 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया और पिछले वर्ष की तुलना में इसके रुपए के संबंध में 20.4 प्रतिशत तथा अमरीकी डालर के संबंध में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह क्षेत्र भविष्य में भी ठोस विकास जारी रखेगा। साफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्र में 57-65 बिलियन अमरीकी डालर की निर्यात संभावनाएं वर्ष 2008 तक प्राप्त करने की आशा है। आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र का निर्यात वर्ष 2008 तक 21-24 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाने की संभावना है।

वर्ष 2003-04 के दौरान भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उत्पादन 114,650 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है जबकि वर्ष 2002-03 के दौरान यह 97,000 करोड़ रुपए था। इसमें 18.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान तथा विकास ढांचागत विकास, मानव संसाधन विकास आदि के क्षेत्रों में कई योजनाएं प्रारंभ की है।

## विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

**परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र के लिए आयोजना परिव्यय 872.74 करोड़ रुपए है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, भौतिकी संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों का विकास तथा

दसवीं आयोजना स्कीमों के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसी अन्य संस्थाओं में नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने, राष्ट्रीय कार्यक्रम निष्पादित करने तथा विभाग के विभिन्न कार्यक्रम तथा विकास यूनितों एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं में आवास निर्माण तथा ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए है।

**अंतरिक्ष अनुसंधान:** अंतरिक्ष विभाग के लिए वार्षिक आयोजना परिव्यय 2800 करोड़ रुपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैं:-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये, जिसमें यह शामिल है (क) प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए 1019.09 करोड़ रुपए जिसमें शामिल हैं; भू-सहवर्ती सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) परियोजना के लिए 17.95 करोड़ रुपए, जीएसएलवी एमके-III विकास के लिए 450 करोड़ रुपए, क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) परियोजना के लिए 1.67 करोड़ रुपए, पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी) जारी रखने की परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) के लिए 168 करोड़ रुपए, इसरो इनशियल सिस्टम्स यूनित (आईआईएसयू) के लिए 12.12 करोड़ रुपए, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के लिए 53.67 करोड़ रुपए, जीएसएलवी प्रचालनात्मक परियोजना के लिए 181.17 करोड़ रुपए तथा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के लिए 14.36 करोड़ रुपए शामिल हैं; (ख) सैटेलाइट प्रौद्योगिकी के लिए 755.17 करोड़ रुपए जिसमें शामिल है, भारतीय दूरस्थ सवेदी सैटेलाइट परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपए, जी सैट परियोजनाओं के लिए 27.75 करोड़ रुपए, इसरो सैटेलाइट केन्द्र (आईएसएसी) के लिए 155.05 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम (एलईओएस) प्रयोगशाला के लिए 15.17 करोड़ रुपए तथा राडार इमेजिंग सैटेलाइट-1 (रिसैट-1) के लिए 125 करोड़ रुपए शामिल है, और सैटेलाइट नेवीगेशन तथा ट्रेकिंग नेटवर्क और रेंज सुविधाओं के लिए 350.00 करोड़ रुपए शामिल है जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी)-एसएचएआर के लिए 85.20 करोड़ रुपए द्वितीय प्रक्षेपण पैड तथा साझी सुविधाओं के लिए 5.00 करोड़ रुपए और इसरो टेलीमैट्री के लिए ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क हेतु 45.21 करोड़ रुपए तथा राडार विकास सैल के लिए 1.38 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए किया गया प्रावधान 281.18 करोड़ रुपए है, जिसमें 116.62 करोड़ रुपए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ए.सी.) के लिए, 64.40 करोड़ रुपए विकास एवं शैक्षिक संचार यूनित (डी.ई.सी.यू.) के लिये, 49.18 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) के लिये, 6.95 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय दूरस्थ सवेदी सेवा केन्द्रों (आर.आर.एस.एस.सी.), 7.57 करोड़ रुपए क्षेत्रीय दूरस्थ सवेदी सेवा केन्द्र हेतु, 6.46 करोड़ रुपए राष्ट्रीय दूरस्थ सवेदी एजेंसी (एस.आर.एस.ए.) के लिये, 25.00 करोड़ रुपए आपदा प्रबंध प्रणाली (डी.एम.एस.) के लिये और 5.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ई.एस.ए.सी.) के लिये शामिल हैं।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञानों के लिये 234.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 24.24 करोड़ रुपए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये, 5.82 करोड़ रुपए राष्ट्रीय एम.एस.टी. राडार सुविधा (एस.एम.आर.एफ.) के लिये, 12 करोड़ रुपए "रिस्पॉन्ड के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिये, 7.11 करोड़ रुपए सेंसर पेलोड विकास के लिये, 8.00 करोड़ रुपए मेघा ट्रापिक्स परियोजना के लिये, 52.90 करोड़ रुपए एसट्रीसैट मिशन, 106.22 करोड़ रुपए भारतीय चन्द्र मिशन-चन्द्रायण-1 और 12.12 करोड़ रुपए इसरो भू-परिमंडल-जैव परिमंडल कार्यक्रम के लिए तथा 5.71 करोड़ रुपए अन्य योजनाओं जैसे अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन गुब्बारा सुविधा, बहुअभिकरण निधिप्राप्त परियोजनाओं और सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान अनुप्रयोग रिकवरी माड्यूलस आदि के लिये शामिल हैं।

(iv) इंसेट आपरेशनल के अंतर्गत 304.52 करोड़ रुपए के प्रावधान में 19.42 करोड़ रुपए मास्टर नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.), 71.10 करोड़ रुपए इंसेट-3 सैटेलाइट परियोजना (प्रक्षेपण सेवाओं और ट्रांसपॉण्डर्स पट्टेदारी सहित), 214 करोड़ रुपए प्रक्षेपण, सेवा सहित इंसेट-4 सैटेलाइट परियोजना के लिये शामिल हैं। 59.98 करोड़ रुपए का प्रावधान विशेष स्वदेशीकरण/उन्नत आर्डरिंग के लिये किया गया है।

**समुद्र विज्ञान अनुसंधान:** इसका परिव्यय 340 करोड़ रुपए है। इसमें

अंटार्कटिका/ ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 41 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें अंटार्कटिका में भारतीय प्रयास जारी रखने और देश में अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना पर होने वाला व्यय शामिल है। बहुधात्विक नोड्यूल के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए 22 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। समुद्र अवलोकन, विज्ञान और सूचना कार्यक्रम के लिए भी 17 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान को उसके कार्यकलापों के लिए 42 करोड़ रूपए और विभाग की समुद्र से औषधि, तटीय अनुसंधान पोत, तटीय समुद्र अनुवीक्षण और पूर्वानुमान प्रणाली, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता; महाद्वीपीय शेल्फ समुद्री जीव संसाधनों एवं मात्स्यिकी एवं समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, बेनफैन, गहन समुद्री खनिज अन्वेषण, एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंध, जनशक्ति प्रशिक्षण, प्रदर्शन, सेमिनार और संगोष्ठी के लिए सहायता, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर आदि जैसे विभाग के अन्य चालू कार्यकलापों के लिए प्रदान किए गए हैं।

संपूर्ण भारतीय ईईजेड का व्यापक स्वैथ वैधी मीट्रिक सर्वेक्षण, गैस हाइड्रेट अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास, नए पोतों के अधिग्रहण और लक्ष्मी बेसिन में भू-भौतिक अध्ययन के लिए 135 करोड़ रूपए, 25 करोड़ रूपए का आबंटन डाटा बॉय कार्यक्रम के लिए और 20 करोड़ रूपए सुनामी तथा तूफान सम्बन्धी चेतावनी प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों हेतु परिव्यय 1250 करोड़ रूपए (जिसमें 10 करोड़ रूपए का पूंजी परिव्यय शामिल है) जोकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अग्र और उभरने वाले क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए है। ये क्षेत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरी से संबद्ध हैं। मिशन रूप में पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान, इंस्ट्रुमेंटेशन विकास और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं भी शामिल हैं। उद्यमकारिता सहित सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर विधिवत बल दिया जा रहा है। नए और अन्तरविषयक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता दी जाती है।

**अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान:** 846 करोड़ रूपए विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के लिए है। यह प्रौद्योगिकी संवर्धन, विभाग के विकास एवं उपयोग कार्यक्रमों और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. को इसकी सहायता के लिए है। यह परिव्यय सीएसआईआर को सहायता अनुदान देने के लिए भी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक प्रतियोगितात्मक स्तर पर सक्षमता को सतत् निर्माण तथा पुनर्संजित करने हेतु कार्यकलापों को करना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनकी सहायता की जाएगी उनमें छोटे सिविलियन विमान का डिजाइन तैयार करना, विकास एवं विनिर्माण; नये यौगिकों और जैव-रूपांतरण प्रक्रिया के लिए भारत की जीवाणु संपदा का अन्वेषण एवं उपयोग, औषध लक्ष्यों का विकास करने के लिए चयनित पैथोजन का आण्विक जैव विज्ञान; दमा और एलर्जी रोग कम करना; भूमंडलीय बिक्री के लिए नयी वैज्ञानिक हर्बल दवाईयां तैयार करना, फोटोनिक और इलेक्ट्रॉनिक के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास, एमईएमएस एवं संवेदियों के लिए क्षमताओं तथा सुविधाओं का विकास आदि हैं। प्रौद्योगिकी लाभ पर आधारित कुछ नये चुनिन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमंडलीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए "न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नालाजी लीडरशिप इनीसिएटिव(एनएमआईटीएलआई) की स्कीम को भी यह सहायता प्रदान करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास और बौद्धिक संपदा तथा प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन समर्थन के लिए भी यह सहायता प्रदान करेगा।

**जैव प्रौद्योगिकी:** वर्ष 2005-06 के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग हेतु 445 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है, कृषि, पशु विज्ञान, जलचर पालन, मूल अनुसंधान, जैव विविधता, जैव संसाधन, जैव संभावना, पर्यावरण उत्पाद और प्रक्रिया विकास के लक्षित कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित हैं, निरन्तर मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेंगे। जैव सूचना, परिष्कृत जैव सुविधाओं तथा जिनोमिक्स संबंधी बहु संस्थानिक मिशन मोड परियोजनाएं, जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा, जैव संसाधनों के डिजिटलाइज्ड इन्वेन्टरीज, नवीनतम वैक्सीन, जड़ी बूटी उत्पाद विकास तथा खाद्य पौषणिक सुरक्षा हेतु जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप उच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढांचागत विकास को मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक विकास तथा कमजोर वर्गों महिलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों के सामाजिक विकास तथा उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए जैव

प्रौद्योगिकी से संबंधित और अधिक कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी पार्क/उष्मायित्र सुविधाओं को विभिन्न राज्यों में पोषित किए जाने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय विकास तथा अनुसंधान संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के नवोन्मेषकों के साथ सहभागीदारी का विकास करके उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर जैव प्रक्रियाओं तथा उत्पादनों के वाणिज्यिकरण हेतु एक जैव प्रौद्योगिकी अभिनव निधि की स्थापना का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय टीकाकरण संस्थान, राष्ट्रीय सैल विज्ञान केन्द्र, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डाइग्नोस्टिक्स सेंटर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्लाट जिनोम रिसर्च सेंटर, स्थायी विकास संबंधी जैसे संसाधन संस्थान तथा जीव विज्ञान को निरन्तर सहायता प्रदान की जाएगी।

**पर्यटन:** ऐसे गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों जिनका उद्देश्य देश में पर्यटक सर्किटों की पहचान करना है, के लिए स्कीम परियोजना/ढांचागत विकास हेतु 786 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है। बड़ी मात्रा में राजस्व सृजन की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना, आईएचएमएस/एफसीआईएस/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस/एनआईएस/एनसीएचएमसीटी को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन तथा प्रचार, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन तथा प्रचार, आवास आधारभूत ढांचों से संबद्ध प्रोत्साहन, गुलमर्ग जम्मू तथा कश्मीर में आईआईएसएम के भवन निर्माण आदि के लिए भी व्यवस्था है।

**विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन:** इसके लिए 920.69 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें निर्यात संबंधी आधारभूत ढांचा (450 करोड़ रूपए), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (55 करोड़ रूपए), समुद्री उत्पाद उद्योग तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (54 करोड़ रूपए), निर्यात ऋण गारंटी निगम में निवेश (100 करोड़ रूपए), परियोजनाओं तथा अन्य उच्च मूल्य निर्यात के क्रेडिट जोखिम कवर की उपलब्धता का सुनिश्चय करने हेतु राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (200 करोड़ रूपए), भारत के निर्यात को स्थायी आधार पर प्रोत्साहन करने के प्रेरक के रूप में कार्रवाई करने हेतु बाजार पहुंच प्रयासों (40 करोड़ रूपए) के लिए भी प्रावधान है।

**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** देश में सभी स्तरों पर अर्थात् केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि आर्थिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा हो और इन्हें उच्च विकास के पथ पर ले जाया जा सके तथा सरकार द्वारा उसे पूरी मान्यता दी जाए। निवेश को बढ़ाकर विकास की गति में वृद्धि कर तथा भौतिक आधारभूत ढांचे में विस्तार के जरिए विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए, तथापि, ढांचागत परियोजनाओं के अमली जामा रूप लेने में अक्सर लम्बा समय लग जाता है और वे अपने स्तर पर वित्तीय रूप से पूर्णतया व्यवहार्य प्रतीत न हों। इस खामी को समाप्त करने तथा ऐसी परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता का सुनिश्चय करने हेतु 1500 करोड़ रूपए का आबंटन चालू वर्ष में सड़क, पत्तन, विमानपतन रेलवे, अभिसमय केन्द्रों, विद्युत, जलापूर्ति, मल व्ययन तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट निपटान आदि जैसे विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देने जिसमें सक्षमता अंतराल वित्तपोषण भी शामिल है, हेतु की जा रही है।

## सामाजिक सेवाएं

**सामान्य शिक्षा:** दसवीं योजना के दौरान, मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बुनियादी शिक्षा तथा साक्षरता विभाग हेतु परिव्यय वर्ष 2005-06 में बढ़ाकर 12531.76 करोड़ रूपए कर दिया है। बुनियादी शिक्षा के लिए रखे गए परिव्यय में मुख्यतः सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु 7156 करोड़ रूपए का परिव्यय शामिल है। एसएसए एक समयबद्ध मिशन के बतौर सबको बुनियादी शिक्षा प्राप्त कराने का एक व्यापक कार्यक्रम है, इसका लक्ष्य 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उत्कृष्ट प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को हासिल करना है, जिसमें बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे अन्य बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे आम तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, के लिए 3010.76 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। यह ब.अ. 2004-05 में

कार्यक्रम हेतु रखे गए परिव्यय का लगभग दुगुना है और वर्ष 2004-05 की योजना में संशोधन के अनुसरण में किया गया है, जिसके अंतर्गत अब केन्द्रीय सरकार पकाने की लागत को पूरा करने के लिए भी सहायता प्रदान कर रही हैं। इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपए, अध्यापक शिक्षा के लिए 180 करोड़ रुपए, शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए 6.50 करोड़ रुपए, महिला समाख्या के लिए 30 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए 4.50 करोड़ रुपए और बाल भवन के लिए 4.50 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा हेतु 165.92 करोड़ रुपए, जनशिक्षण संस्थानों के लिए 35.59 करोड़ रुपए, जम्मू व कश्मीर पैकेज (आरसीसी) के लिए 1 करोड़ रुपए सहित साक्षरता अभियान और प्रचालन पुनर्स्थापना के लिए 22.50 करोड़ रुपए के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के लिए (जनसंख्या शिक्षा के लिए कर्मचारी घटक सहित) 22.50 करोड़ रुपए सहित प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य आवंटनों में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जनसंख्या शिक्षा और राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण के लिए आवंटन शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 1053.50 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए परिव्यय 2712 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए, परिव्यय में नवोदय विद्यालयों के लिए 495 करोड़ रुपए, विद्यालयों में आईसीटी के लिए 45 करोड़ रुपए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 164.70 करोड़ रुपए, अपंग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा हेतु 40.50 करोड़ रुपए, अभिगम्यता एवं समता के लिए 9 करोड़ रुपए, विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए 9 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लिए 17.10 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के लिए 3.60 करोड़ रुपए, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के लिए 3.60 करोड़ रुपए शामिल हैं।

विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए 789.46 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 708.82 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए 54 करोड़ रुपए, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए 15.75 करोड़ रुपए, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के लिए 2.52 करोड़ रुपए, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के लिए 1.80 करोड़ रुपए, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के लिए 1.80 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद के लिए 0.90 करोड़ रुपए तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए 3.87 करोड़ रुपए शामिल हैं।

हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों सहित भारतीय भाषाओं में भाषाओं और साहित्य के विकास के लिए परिव्यय 112.55 करोड़ रुपए है। इसमें क्षेत्र गहन और मद्रसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए तथा मानवीय मूल्यों में शिक्षा की योजना के लिए प्रावधान शामिल है। छात्रवृत्ति योजनाओं तथा पुस्तक संवर्धन और कापीराइट गतिविधियों के लिए क्रमशः 9.90 करोड़ रुपए और 9.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

8.59 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना और प्रशासन के अंतर्गत, 3.31 करोड़ रुपए अरविन्द आश्रम प्रबंधन के लिए, 2.39 करोड़ रुपए राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन के लिए, 0.81 करोड़ रुपए अध्ययन योजना, सेमिनारों, शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और 1.50 करोड़ रुपए यूनेस्को के कार्यालय के लिए एक भवन के निर्माण हेतु किया गया है। राज्य स्तर पर सांख्यिकी मशीनरी को सुदृढ़ करने का भी प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए 733.40 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए 198 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज) के लिए 81 करोड़ रुपए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए 91.48 करोड़ रुपए, शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के लिए 28 करोड़ रुपए, सामुदायिक पालिटेक्निकों के लिए 26.10 करोड़ रुपए, प्रशिक्षु प्रशिक्षण और प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड सहित बोट्स के लिए 20.25 करोड़ रुपए, भारतीय प्रबंधन संस्थानों के लिए 31.51

करोड़ रुपए, राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के लिए 10.80 करोड़ रुपए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की योजना अभिकल्पना एवं विनिर्माण कांचीपुरम और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर में प्रत्येक के लिए 9 करोड़ रुपए, 3.60 करोड़ रुपए प्रौद्योगिकी विकास मिशन के लिए और 0.01 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर के लिए शामिल हैं। सीआईटी कोकराझार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

**खेलकूल और युवा सेवाएं:** युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय 438.99 करोड़ रुपए है। युवा मामलों के क्षेत्र में नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), जिसका कार्यक्षेत्र बड़ी संख्या में छात्रों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीणों युवाओं को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा, को बजटीय सहायता देने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) जैसी बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करने और विस्तार करने के लिए योजना निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सुनामी से प्रभावित परिवारों को समय पर बचाव और राहत उपलब्ध कराने में एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयं सेवकों की सहभागिता उल्लेखनीय रही है। मंत्रालय ने 18 सुनामी प्रभावित जिलों में प्रत्येक में किशोरों के मार्गदर्शन हेतु एक परामर्श और कैरियर मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की है। 2004-05 में शुरु की गई किशोरों के विकास और अधिकारिता की योजना का विस्तार किया जाएगा। पुनर्गठित योजना "राष्ट्रीय सद्भावना योजना" को अंतिम रूप दिया गया है और इसे 2005-06 के दौरान आरंभ किया जाएगा। श्री पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का सहायक शैक्षणिक स्टाफ सहित नए शैक्षणिक प्रभागों की स्थापना करके सुदृढ़ीकरण किया गया है।

खेलकूद के क्षेत्र में, भारतीय खेल प्राधिकरण को बजटीय सहायता देने के अतिरिक्त प्रमुख योजनाएं ग्रामीण खेलों, विद्यालयी खेलों, खेलों को विस्तृत आयाम देने और प्रतिभा खोज कार्यक्रमों से संबंधित है। राज्य खेल अकादमी योजना में इसे अधिक कारगर बनाने के लिए आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है।

वर्ष 2005-06 के योजना परिव्यय में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए प्रावधान भी शामिल है। वर्ष 2005 को "अंतर्राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के उपायों को सुदृढ़ किया जाएगा। अपंग खिलाड़ियों के खेलों के प्रोत्साहन हेतु एक नई योजना तैयार की जा रही है। भारत सरकार द्वारा खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन पर रोक संबंधी कोपेंहेगन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (एनएडीए) की स्थापना की जा रही है जो वर्ष 2005-06 के दौरान कार्य करना आरंभ करेगी।

**कला और संस्कृति:** 551.12 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नाट्य, नृत्य तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, विज्ञान नगरों, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है।

**चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** 2908.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 1030.38 करोड़ रुपए का विदेशी सहायता संघटक शामिल है। परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा संक्रामक और अन्य बीमारियों के नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। स्वास्थ्य पक्ष में, परिव्यय में मुख्य आवंटन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, काला आजार, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कैंसर अनुसंधान तथा नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें तम्बाकू मुक्ति संबंधी उपाय शामिल हैं, राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम सहित अंधता निवारण, टी

बी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम तथा मानसिक स्वास्थ्य, अस्पताल तथा औषधालय, औषधि और पीएफए के संबंध में क्षमता निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बायोलोजिकल संस्थान, भुज अस्पताल शामिल हैं। जबकि चिकित्सा पक्ष पर परिव्यय चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित चिकित्सा विज्ञान के विकास पर बल देना है जिसके लिए 2005-06 के दौरान बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के लिए उपर्युक्त विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 290.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर विभाग अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी में आरसीएच जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाते हुए आयुष प्रणालियों को शामिल करके उनका अनुशीलन भी किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 के लिए आयोजना के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए (जिसमें शहरी विकास मंत्रालय में 5 करोड़ रुपए शामिल हैं) निर्धारित किए गए हैं।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :** परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर कम करना और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार लाना है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीम के रूप में जारी है और वर्ष 2005-2006 के लिए 6424 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

सरकार का आगामी वर्ष में आम लोगों के जन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके उसमें सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। बुनियादी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सुदृढीकरण पर मिशन का मुख्य फोकस होगा। 7 वर्षीय अवधि में मिशन की बेहतर टीकाकरण, शिशु एवं माता स्वास्थ्य देखभाल और रोकथाम एवं इलाज संबंधी उपायों के द्वारा बीमारियों का नियंत्रण करके आम भारतीय की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने की संभावना है। अगले 5 वर्षों के दौरान जन स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक सुधार करने के लिए इसके स.घ.उ. के 0.9% के वर्तमान स्तर को 2-3% तक बढ़ाकर बढ़ें हुए आबंटनों के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने हेतु एनआरएचएम का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ लगभग 6605 करोड़ रुपए का संचयी बजट रखा जा रहा है।

**जलापूर्ति एवं सफाई:** राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश में सभी ग्रामीण आबादियों के लिए पेयजल के प्रावधान को नियत किया गया है। इसीलिए सरकार गत वर्षों में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्रक के लिए वार्षिक केंद्रीय परिव्यय उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। 10वीं योजना के उद्देश्य में सभी ग्रामीण आबादियाँ (उनको मिलाकर जो पूरी तरह से शामिल से खिसककर आंशिक रूप से/शामिल नहीं श्रेणी में चली गई हैं) तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों को शामिल करने की संकल्पना की गई है। अब की स्थिति के अनुसार 95 प्रतिशत से अधिक आबादियाँ व्यापक कार्रवाई योजना, 1999 और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उत्तरवर्ती कवरेज स्थिति के संदर्भ में पूर्णतया पेय जलापूर्ति में शामिल हैं। एक ताजा आबादी सर्वेक्षण भी किया गया है और इसके परिणाम भी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अधिमाम्य किए गए हैं। सरकार ने 1999 में ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्रक में सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। प्रायोगिक आधार पर 67 क्षेत्रक सुधार परियोजना में शुरू किया गया सुधार सिद्धान्त 25 दिसंबर, 2002 से स्वजल धारा शुरू करने के साथ पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया। स्वजल धारा की मुख्य विशेषताएं हैं कि जलापूर्ति योजनाओं को समुदाय द्वारा योजनागत क्रियान्वित, अनुसूचित व धारित किया जाएगा। समुदाय द्वारा 10 प्रतिशत व भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जल की गुणवत्ता का निर्वहनीयता को बढ़ावा देने व अनुवीक्षण करते हुए निर्वहनीयता और गुणवत्ता के दो मुद्दों को हल किया जा रहा है। जल गुणवत्ता अनुवीक्षण और निगरानी प्रणालियों को समुदाय आधारित सांस्थानिकरण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय ग्रामीण जल गुणवत्ता अनुवीक्षण और निगरानी कार्यक्रम तैयार किया गया है। वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र 4050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से 405 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए अलग से रखे गए हैं। सरकार ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर सहायता देने को सर्वाधिक महत्व देती आ रही है। 452 जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यह

प्रस्तावित है कि दसवीं योजना के अंत तक सभी जिलों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2005-06 के लिए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु प्रावधान किया गया है जिसमें से 70 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए अलग से रखे गए हैं। इसलिए 2005-06 में जलापूर्ति और स्वच्छता हेतु 4750 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत 475 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं।

### आवास

**ग्रामीण आवास :** ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 2571.11 करोड़ रु. है जिसमें 277.51 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए रखे गए हैं।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनितों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता अनुदान देकर उन्हें सुधारना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं को या उनके निकट संबंधी को भी प्रदान किया गया है, भले ही उनकी आय कुछ भी हो और वे ये शर्तें पूरी करते हों (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों; (ii) वह आवास-पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत न आते हों; और (iii) वे बेघर हों या आवास उन्नयन के लिये आवास की आवश्यकता रखते हों। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियाँ अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए अलग से रखी गई हैं। इन निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विकलांगों के हितों के लिए आरक्षित किया गया है। दिनांक 1.4.2004 से मैदानी इलाके में प्रत्येक मकान के लिए सहायता की सीमा 25,000/- रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27,500/- रुपए निर्धारित की गयी है। प्रति यूनिट 12,500/- रुपए की दर से अनुपयुक्त कच्चे मकानों को सुधारने की योजना भी आरम्भ की गयी है। इंदिरा आवास योजना के वार्षिक आबंटन के 20 प्रतिशत तक को कच्चे घरों को सुधारने और क्रेडिट-सह-सब्सिडी स्कीम हेतु खर्च किया जा सकता है। ऋण-एवं-आर्थिक सहायता योजना के अधीन 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण हेतु निधियाँ प्रदान की जाती हैं। पहले ये सरकार की इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होते थे पात्र परिवार को 10,000/- रुपए तक की सब्सिडी और 40,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवार के ऋण की उपलब्धता को सुधारने के लिए 'हुडको' को इक्विटी पूंजी की सहायता भी मुहैया करायी जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की भी स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामग्रियाँ शुरू की जा सकें और प्रौद्योगिकी, आवास एवं ऊर्जा संबंधी मुद्दों में सामंजस्य बिठाया जा सके जिससे एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर तथा सामुदायिक माध्यस्थता से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को सुलभ आवास प्रदान किये जा सकें।

**शहरी विकास:** इस क्षेत्रक के लिये 2592.9 करोड़ रुपये का परिव्यय है जिसमें लघु और मझोले कस्बों के एकीकृत विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिये 70 करोड़ रु., बड़ी शहरी स्कीमों के लिये 150 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें शहरी परिवहन अर्थात् दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन के लिये 507 करोड़ रु. का प्रावधान भी शामिल है।

**सूचना, प्रचार तथा प्रसारण:** सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रक के लिये 1120 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसमें 592 करोड़ रु. की आई.ई.बी.आर. की धनराशि भी शामिल है। सूचना एवं फिल्म क्षेत्रक में मीडिया यूनितों के आबंटन में प्रेस सूचना ब्यूरो, भारतीय जन संचार संस्थान, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, पंजीकार-भारतीय समाचार पत्र, सूचना भवन, केन्द्रीय मानिटरिंग सेवाओं एवं मानव संसाधन विकासार्थ प्रशिक्षण के लिये आबंटन शामिल है। फिल्म प्रभागों, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, भारतीय सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, फिल्म महोत्सव निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड,, भारत एवं विदेशों में फिल्म बाजार में भाग लेने के लिये भी आबंटन किये गए हैं।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र:** विद्युत, सिंचाई, सड़कों और संचार क्षेत्रकों की स्कीमों एवं

परियोजनाओं सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में ऐसी विकासात्मक स्कीमों एवं परियोजनाओं की योजना, निष्पादन तथा मानिट्रिंग से संबंधित मामलों की देखभाल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिये 1086.25 करोड़ रुपए (राज्य आयोजना सहित) का परिव्यय रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय पूल संसाधनों से 585 करोड़ रुपए अनुदान तथा ऋण के रूप में तथा पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के लिये 461.50 करोड़ रुपए तथा मंत्रालय की चार केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए 39.75 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों (कुछ को छोड़कर जिन्हें छूट दी गई है) से अपेक्षा है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के विकास के कार्यक्रमों/स्कीमों के लिये अपने केन्द्रीय योजना बजट का कम से कम 10% भाग निर्धारित करें।

### कल्याण

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 1533.70 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में अनुसूचित जाति संघटक योजना (491.22 करोड़ रुपए), मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति (371.89 करोड़ रुपए), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन (36.91 करोड़ रुपए), राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (31.50 करोड़ रुपए), दीन दयाल अपंग पुनर्वास योजना (80 करोड़ रुपए) विकलांगों के लिए सहायता एवं उपकरण (60 करोड़ रुपए) नशाबंदी एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम (30.64 करोड़ रुपए) शामिल है। इसमें मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, पिछड़ी जातियों आदि के लिए मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए प्रावधान भी शामिल है।

**जनजातीय कार्य :** 391.81 करोड़ रुपए के आवंटन में मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति, और अ.ज.जा. विद्यार्थियों की योग्यता के संवर्धन (230.65 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वेच्छक संगठनों को सहायता अनुदान तथा शानदार सेवाओं के लिए इनाम (23.40 करोड़ रुपए), पीटीजीजे के विकास के लिए (24.75 करोड़ रुपए), लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान (10.80 करोड़ रुपए) शामिल हैं। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए (5.40 करोड़ रुपए), अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप हेतु (7.95 करोड़ रुपए) शामिल है।

**श्रम और रोजगार :** श्रम मंत्रालय के लिये परिव्यय 232.48 करोड़ रुपए है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण पर तथा कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिक की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की कल्याण स्कीमों के लिए प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने अवधि के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना को जारी रखने तथा विस्तार हेतु अनुमोदन किया था। सरकार ने योजना अवधि के लिए चुने गये अतिरिक्त 50 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं खोलने के लिए अनुमोदन दिया है। दसवीं योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए 602 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है।

**वस्त्र उद्योग :** वस्त्र मंत्रालय के लिए 1150 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय रखा गया है, जिसमें 435 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के लिए है। मंत्रालय की यह वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की फ्लैगशिप स्कीम है और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वस्त्र इकाईयों के आधुनिकीकरण हेतु वितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने तथा इसमें बिजली करघा को रियायती ऋण प्रदान करने की सुविधा भी शामिल है। प्रत्येक अपैरल पार्क योजना और टैक्सटाइल केन्द्र के लिए अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) को विश्व स्तर की अवसंरचना की स्थापना के लिए वैश्विक बाजार खुलने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए समेकित टेक्सटाइल/एप्पेरल पार्क की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। सूत प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि चिह्नित की गई है और हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, बिजली करघा और ऊन क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम और लघु उद्योग के अधीन भी प्रावधान किया गया है।

### सामान्य सेवाएं

**न्याय प्रशासन:** 192 करोड़ रुपए का प्रावधान देश के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 22 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को एकमुश्त रूप से प्रदान करने का प्रावधान है, जिसे भी उस क्षेत्र में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा।